रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1969 (चैत्र 1, 1891)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1969 (CHITRA 1, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 27 फरवरी 1969 तक प्रकाशित किए गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 27th February 1969 :—

अंक Issue No. 1	संख्या और तारीख No. and Date 2	द्वारा जारी किया गया Issued by 3	विषय Subject 4
27	No. EB/68/NE-NF/Divln., dated 25th February, 1969. No. EB/68/NE-NF/Divln., dated 25th February, 1969	Ministry of Railways -do-	Upgrading of existing operating districts of the Northeast Frontier Railway switching over of the existing districts of the North Eastern Railway to the Divisional Pattern of working.
	सं० ई०बी०/68/एन०ई०एन०एफ/डिवीजनलाईजेशन, दिनांक 25 फरवरी 1969/सं० ई०बी०/68 एन० ई० एन० एफ/डिवीजनलाईजेशन दिनांक 25 फरवरी, 1969	रेल मंत्रालय तेदेव	पूर्वोतर सीमा रेलवे वर्तमान परिवहन जिलों का दर्जा बढ़ाना पूर्वोतर रेलवे के वर्तमान जिलों का पुनर्वर्गीकरण मंडक प्रणाली के रूप में काम करना ।
28	उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण—28 फरवरी, 1969,—बजट 1969—70 ।		
	Speech of Deputy Prime Minister and Minister of Finance—28th. February, 1969—Budget 1969-70.		
29	No. 40-ITC(PN)/69, dated 5th. March, 1969.	Ministry of Foreign Trade and Supply.	Opening of an Import and Export Trad Control Office at Ahmedabad.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम माग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	275
भाग I—खंड 2.—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	333
भाग I—खंड 3.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4.—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	227
भाग II—खंड 1.—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2.—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3–उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	863
भाग II—खंड 3.—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1047
भाग II—खंड 4.—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खंड 1.—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	281
भाग III—खंड 2.—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	103
भाग III—खंड 3.—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	41
भाग III—खंड 4.—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	197
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	53
पूरक संख्या 12—	
15 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	455
22 फरवरी 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	469

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	275
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	333
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	227
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	863
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1047
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	281
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	103
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	197
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	53
SUPPLEMENT No. 12—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 15th March 1969 ..	455
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 22nd February 1969	469

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 1969

संकल्प

सं० 68-पब(5)/68—वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 68-पब(5)/66 दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 के द्वारा स्थायी निर्यात प्रचार सलाहकार समिति की स्थापना की गयी थी और वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 68-पब(5)/66 दिनांक 2 मई 1968 में समिति की सदस्यता में परिवर्तन अधिसूचित किये गये थे। समिति की सदस्यता में निम्नलिखित अतिरिक्त परिवर्तन अधिसूचित किये जाते हैं :—

(1) क्रमांक 3 में "श्री टी० एन० बहल" **के स्थान पर** "श्री० पी० के० सेन" **पढ़िये**।

(2) श्री यू० एस० मोहन राव से सम्बद्ध क्रमांक 4 की विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर यह पढ़िये** :—
"4. श्री शंकर दयाल,
निदेशक, प्रकाशन प्रभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पटियाला हाउस,
नई दिल्ली-1"।

(3) क्रमांक 6 में "श्री एस० एन० लिमये" **के स्थान पर** "श्री के० एल० खांडपुर" **पढ़िये**।

(4) क्रमांक 7 में "श्री बी० के० नारायण मेनन" **के स्थान पर** "श्री ए० के० सेन" **पढ़िये**।

(5) क्रमांक 8 की विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर यह पढ़िये**:—
"8. श्री बी० रंगस्वामी,
वित्तीय संपादक, इण्डियन एक्सप्रेस,
न्यूजपेपर हाउस, सैसों डौक, कोलाबा,
बम्बई-5"।

(6) डा० डी० के० रंगनेकर से सम्बद्ध क्रमांक 10 की विद्यमान प्रविष्टि **के स्थान पर यह पढ़िये**:—
"10. श्री ए० बी० भडकमकर,
संयुक्त सचिव,
वैदेशिक प्रचार प्रभाग,
वैदेशिक कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली"।

(7) कंडिका 1 की सदस्य सूची में क्रमांक 20 पर निम्नलिखित नाम **जोड़ा जायेगा** :—
"20. श्री पी० के० वाडियर,
महामंत्री,
भारतीय निर्यात संगठनों का संघ,
17, संसद् मार्ग,
नई दिल्ली"।

(8) श्री वी० आर० राव के नाम के साथ का क्रमांक 20 **के स्थान पर** '21' **पढ़ा जायेगा**।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाए।

एस० के० सिंह, निदेशक

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1969

सं० 22/1/69 सी०ए०-I(2)—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 22/10/67 सी०ए०-I(2) दिनांक 13-1-69 के क्रम में, डिब्रूगढ़ विश्व विद्यालय, डिब्रूगढ़ (असम) के राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० शान्ति स्वरूप को, भारत सरकार के संकल्प सं० 6/25/63 ए०-10 (सी-5) दिनांक 20-11-65 के पैराग्राफ 3 I-ए (6) के अनुसार, 3 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली बकाया अवधि के लिये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के एक सामान्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए० एस० तलवार, अवर सचिव

संचार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 1968

नियम

सं० 4-इ०(23)/67—निम्नलिखित पदों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्रैल, 1969 में संघ लोक-सेवा आयोग के द्वारा

ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम, संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

1. बेतार योजना और समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन, संचार विभाग में इंजीनियर (प्रथम श्रेणी)
2. आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सहायक स्टेशन इंजीनियर (प्रथम श्रेणी)
3. सिविल विमानन विभाग, पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय में सहायक तकनीकी अधिकारी ।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में किया जायेगा । सरकार द्वारा यथानिर्धारित रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान आरक्षित होंगे ।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय उन जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है जो इनमें दी गई हैं—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 ।

3. परीक्षा संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट I में विहितविधि से ली जाएगी ।

किन तारीखों तथा किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा ।

4. उम्मीदवार को चाहिए कि या तो वह

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) सिक्कम की प्रजा हो, या
(ग) नेपाल की प्रजा हो, या
(घ) भूटान की प्रजा हो, या
(ङ) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से, 1 जनवरी, 1962 से पहले, भारत आया हो; या
(च) भारत मूलक व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पहले तांगानीका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवास किया हो :

परन्तु ऊपर के वर्ग (ग), (घ) (ङ) और (च) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके नाम भारत सरकार के द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र दिया गया हो ।

परन्तु, निम्नलिखित किसी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

1. वे व्यक्ति जिन्होंने भारत में 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रवास किया हो और तब से साधारणतया भारत में रह रहे हों ।
2. वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई, 1948 को अथवा उसके बाद भारत में प्रवास किया हो और संविधान के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत भारत के नागरिकों के रूप में अपना पंजीकरण करा लिया है ।
3. ऊपर के वर्ग (च) में आने वाले वे व्यक्ति जो नागरिक नहीं हैं पर संविधान के प्रारंभ अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार के अधीन सेवा में भर्ती हुए और तब से बिना किसी सेवा-भंग के उस सेवा में निरंतर चले आ रहे हैं । परन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए, जो 26 जनवरी, 1950 के बाद सेवा-भंग करके उस सेवा में फिर भर्ती हुआ हो या फिर भर्ती हो, सामान्य रूप में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है, बशर्ते कि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे ।

5. (क) इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 1969 को 20 वर्ष की होनी चाहिए परन्तु वह 25 वर्ष का न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1944 से पहले और 1 अगस्त, 1949 के बाद न हुआ हो ।

(ख) ऊपर विहित ऊपरी वय सीमा में, निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यदि वे अपने-अपने विभागों में इन रिक्त स्थानों के लिए आवेदन दे रहे हों, तो 5 साल तक की छूट दी जा सकती है ।

(i) जो उम्मीदवार उस विभाग में मूलतः किसी स्थायी पद पर हो । यह छूट उस विभाग में किसी स्थायी पद के लिए नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान स्वीकार्य नहीं होगी ।
(ii) जो उम्मीदवार किसी एक विभाग में कम-से-कम तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुका हो या 1 अगस्त, 1969 को या उससे पूर्व पूरी कर लेगा ।

परन्तु, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को जिसे ऊपर (ख) में उल्लिखित ऊपरी वय सीमा में छूट दी गई हो तीन बार से अधिक परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ग) ऊपर विहित ऊपरी वय सीमा में निम्नलिखित और छूट दी जा सकेगी :—

(i) अधिकतम पांच वर्ष की, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो;
(ii) अधिकतम तीन वर्ष की, यदि उम्मीदवार वस्तुतः पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित व्यक्ति हो

और जिसने भारत में 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रवास किया हो;

(iii) अधिकतम आठ वर्ष की, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही वस्तुतः पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ विस्थापित व्यक्ति हो तथा उसने भारत में 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रवास किया हो;

(iv) अधिकतम तीन वर्ष की, यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ-शासित-क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी स्तर पर फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो;

(v) अधिकतम तीन वर्ष की, यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तव में देश-प्रत्यावर्तित भारत मूलक हो और जिसने अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो;

(vi) अधिकतम आठ वर्ष की, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही लंका से आया हुआ वास्तव में देश-प्रत्यावर्तित भारत मूलक हो तथा उसने अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो;

(vii) अधिक-से-अधिक तीन वर्ष की, यदि उम्मीदवार भारत मूलक हो और उसने केन्या, युगाण्डा या तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (पूर्व तांगानीका और जंजीबार) से प्रवास किया हो;

(viii) अधिकतम तीन वर्ष की यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तव में देश-प्रत्यावर्तित भारत मूलक हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो;

(ix) अधिकतम आठ वर्ष की, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही बर्मा से आया हुआ वास्तव में देश-प्रत्यावर्तित भारत मूलक हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवास किया हो;

(x) किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में की गई फौजी कार्रवाइयों में अशक्त बने तथा इसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष की। परन्तु, यह रियारत उस उम्मीदवार के लिये स्वीकार्य नहीं होगी जो पहले ही पिछली पांच परीक्षाओं में बैठ चुका हो;

(xi) किसी दूसरे देश से युद्ध के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में की गई फौजी कार्रवाइयों में अशक्त बने तथा उसके परिणामस्वरूप कार्यमुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हों, अधिकतम आठ वर्ष की। परन्तु यह रियायत उस उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जो पहले ही दस परीक्षाओं में बैठ चुका हो;

(xii) अधिकतम तीन वर्ष की, यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीव के संघ-शासित-क्षेत्र का निवासी हो।

ध्यान दें : (i) इस नियम के प्रयोजनों के लिए जब उम्मीदवार किसी भी एक या अधिक पदों के लिए प्रतियोगिता में बैठेगा तो उसे साधारणतया परीक्षा के अन्तर्गत सभी पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता में बैठा हुआ मान लिया जाएगा।

किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रतियोगी के रूप में भाग लिया हुआ तभी समझा जाएगा जब वह वास्तव में एक या अधिक विषयों में परीक्षा के लिए बैठे।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिसे ऊपर (ख) में उल्लिखित वय रियायत के अधीन परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई हो यदि परीक्षा में बैठने से पहले या उसमें बैठने के उपरांत, आवेदन-पत्र देने के बाद, सेवा से त्यागपत्र दे देगा या उसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी। परन्तु यदि आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा या पद में उसकी छंटनी कर दी गई तो वह पात्र बना रहेगा।

यदि कोई उम्मीदवार अपने विभागों को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा तो वह उस पद के लिए विभागीय वय रियायत के अन्तर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा जिसके लिये वह स्थानांतर न होने की स्थिति में पात्र होता, बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित किया गया हो।

ऊपर दी गई स्थितियों के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में विहित वय-सीमाओं में छूट नहीं दी जा सकती।

6. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार ने :—

(क) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की अथवा संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षिक संस्थाओं की, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित संस्था की इंजीनियरी की डिग्री प्राप्त की हो, अथवा

(ख) इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (भारत) की एसोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा का खण्ड क और ख पास किया हो, अथवा

(ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थानों से तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा-प्राप्त किया हो, अथवा

(घ) इंस्टीट्यूशन आफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (दूर-संचार इंजीनियरों की संस्था) (भारत) की ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा पास की हो, अथवा

(ङ) बेतार संचार, इलैक्ट्रोनिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी को विशेष विषय के रूप में लेकर एम० एस-सी० अथवा उसकी समकक्ष डिग्री प्राप्त हो, अथवा

(च) इंस्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (इलैक्ट्रोनिक और रेडियो इंजीनियरों की संस्था), लंदन की, नवम्बर 1959 के बाद ली गई ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा पास की हो ।

इलैक्ट्रोनिक और रेडियो इंजीनियरों की संस्था लंदन की, नवम्बर 1959 से पूर्व ली गई ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य है :

(1) जिन उम्मीदवारों ने नवम्बर 1959 से पूर्व ली गई परीक्षा पास की हो, उन्होंने निम्नलिखित अतिरिक्त विषय लिये हों और उनमें वे उत्तीर्ण हों :—

(i) विद्युत् इंजीनियरी के सिद्धांत और प्रयोग (1959—उत्तर योजना के खण्ड क में विहित पाठ्य विवरण के अनुसार) ।

(ii) गणित II (1959—उत्तर योजना के खण्ड ख में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार) ।

(2) संबंधित उम्मीदवार ऊपर (1) में विहित शर्त की पूर्ति में इलैक्ट्रोनिक और रेडियो इंजीनियरों की संस्था, लंदन का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

टिप्पणी 1—आपवादिक मामलों में, आयोग ऐसे उम्मीदवार को, जिसने इस नियम में विहित कोई अर्हता प्राप्त नहीं की हो, शैक्षणिक रूप में अर्हता मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं से ली जाने वाली कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में प्रवेश के लिये न्याय-संगत हो ।

टिप्पणी 2—कोई उम्मीदवार जो किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसको पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता हो, परन्तु जिसे परिणाम की सूचना न मिली हो, परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रार्थना-पत्र भेज सकता है । यदि कोई उम्मीदवार ऐसी किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो तो वह भी आवेदन दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले समाप्त हो जाये । ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य रूप में पात्र हुए, परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में प्रवेश अनन्तिम समझा जाएगा और यदि उन्होंने यथासंभव शीघ्र और किसी भी हालत में इस परीक्षा के प्रारंभ होने के बाद अधिक-से-अधिक दो महीने तक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न किया तो उसे रद्द किया जा सकता है ।

टिप्पणी 3—यदि कोई उम्मीदवार ऐसा हो कि अन्य रूप में अर्हता प्राप्त हो, परन्तु उसने एक ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त नहीं है, तो वह भी आयोग को आवेदन दे सकता है और आयोग के विवेक पर उसे परीक्षा में प्रवेश भी दिया जा सकता है ।

7. उम्मीदवार को आयोग की सूचना के अनुबंध में विहित शुल्क देना होगा ।

8. यदि कोई उम्मीदवार पहले ही सरकारी सेवा में हो, तो चाहे वह स्थायी हैसियत में हो या अस्थायी हैसियत में, उसे परीक्षा में बैठने के लिये विभाग के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी होगी ।

9. परीक्षा में प्रवेश के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अन्य बातों के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

10. किसी भी उम्मीदवार को, जिसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र नहीं होगा, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

11. यदि किसी उम्मीदवार ने किसी भी उपाय से उम्मीदवारी के समर्थन में कोई भी प्रयत्न किया तो वह प्रवेश के लिये अनर्ह माना जा सकता है ।

12. कोई भी उम्मीदवार जो प्रतिरूपण का अथवा जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज पेश करने का जिनमें अदल-बदल की गई हो, अथवा ऐसे वक्तव्य देने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं, अथवा महत्त्वपूर्ण जानकारी छिपा लेने का, अथवा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिये अन्य कोई अनियमित या अनुपयुक्त उपाय बरतने का, अथवा परीक्षा भवन में अनुचित उपाय काम में लाने या काम में लाने के प्रयत्न करने का अथवा परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने का, अथवा परीक्षा भवन में अप्राधिकृत कागजात, पुस्तकें या नोट आदि अपने पास या अपनी पहुंच पर रखने का दोषी हुआ या घोषित किया गया तो उस पर दण्ड अभियोग तो चलाया ही जा सकेगा, उसके अतिरिक्त—

(क) उसे स्थायी रूप में अथवा किसी उल्लिखित अवधि के लिये :

(i) आयोग के द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिये आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश अथवा किसी इन्टरव्यू में भाग लेने से वारित किया जा सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन नियुक्ति से वर्जित किया जा सकता है,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हुआ, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

13. जो उम्मीदवार आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार यथा निर्धारित लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेंगे उन्हें वे व्यक्तित्व परीक्षा के लिये इन्टरव्यू में बुलाएंगे ।

14. परीक्षा के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप में दिये गए कुल अंकों के अनुसार आयोग योग्यता क्रमानुसार उम्मीदवारों के नामों को लगा देगा और उसी क्रम में आयोग जितने उम्मीदवारों को परीक्षा के द्वारा अर्हता-प्राप्त पाएगा उतनों की, परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिये निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के मुताबिक, सिफारिश कर देगा ।

परन्तु यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का उम्मीदवार जो किसी पद के लिये आयोग के द्वारा विहित मानक के अनुसार भले ही अर्हता प्राप्त नहीं है, प्रशासन की कुशलता को बनाए रखने की बात का ध्यान रखते हुए उसके द्वारा उस पद

पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर दिया जाए तो उस पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये उसकी सिफारिश की जाएगी ।

15. उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप में परीक्षा के परिणाम भजने के रूप और तरीके का निश्चय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणाम के सम्बन्ध में उनसे पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

16. आवेदन-पत्र देते समय उम्मीदवार की पसन्द का उचित ध्यान रखा जाएगा परन्तु भारत सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह उसे किसी भी पद पर, जिसका वह उम्मीदवार है, लगा दे ।

17. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि सरकार, जैसा भी आवश्यक समझे, पूछताछ करने के बाद इस बात की तसल्ली न कर ले कि उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी तरह से उपयुक्त है ।

18. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप में सुस्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्य पालन में बाधक हो । सरकार अथवा नियोजक प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, जैसा विहित करे उसके अनुसार शारीरिक परीक्षा होने के बाद यदि कोई उम्मीदवार उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला न पाया गया तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा । केवल ऐसे उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किये जाने की संभावना हो । ऐसे उम्मीदवारों को स्वास्थ्य परीक्षा के समय संबंधित मेडिकल बोर्ड को 16.00 रुपये शुल्क देना होगा ।

निराशा से बचने के लिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेशार्थ आवेदन देने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपनी परीक्षा करा लें । राजपत्रित पदों पर नियुक्ति से पूर्व उम्मीदवारों की जो स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी उसके स्वरूप तथा अपेक्षित मानकों का ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है । अशक्त भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के लिये प्रत्येक पद की अपेक्षाओं का ख्याल रखते हुए मानकों में छूट दे दी जाएगी ।

19. (क) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, अथवा जो एक जीवित पत्नी के रहते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करे कि उस पत्नी के जीवन-काल के दौरान होने के कारण वह विवाह-शून्य हो जाए, ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये, जिस पर इस प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हों, तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक भारत सरकार, इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, किसी पुरुष उम्मीदवार पर इस नियम के लागू होने में छूट न दे दे ।

(ख) कोई महिला उम्मीदवार जिसका विवाह इस कारण शून्य हो कि ऐसे विवाह के समय पति के एक जीवित पत्नी थी, अथवा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके, उस विवाह के समय, एक जीवित पत्नी हो, ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये जिस पर कि इस प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हों, तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि भारत सरकार, इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, किसी महिला उम्मीदवार पर इस नियम के लागू होने में छूट न दे दे ।

20. जिन पदों पर इस परीक्षा के माध्यम से भरती की जा रही है उनसे सम्बन्धित संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है ।

सुमेरचन्द जैन, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी—

भाग I—अनिवार्य और वैकल्पिक पत्र जैसे नीचे दिखाए गए है । इन पत्रों के लिये विहित मानक और पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिये गए हैं ।

भाग II—उन व्यक्तियों की जो आयोग द्वारा बुलाए जाएं, व्यक्तित्व परीक्षा, इसके पूर्णांक 200 होंगे । (कृपया नीचे पैरा 6 देखें) ।

2. लिखित परीक्षा के लिये निम्नलिखित विषय होंगे :—

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
(1)	(2)	(3)
(क) **अनिवार्य**	घंटे	
(1) अंग्रेजी निबन्ध	$1\frac{1}{2}$	50
(2) सामान्य अंग्रेजी	$1\frac{1}{2}$	50
(3) सामान्य ज्ञान और सामयिक प्रसंग	$1\frac{1}{2}$	50
(4) विज्ञान का इतिहास	$1\frac{1}{2}$	50
(5) रेडियो भौतिकी	3	100
(6) इलैक्ट्रानिक घटक और पदार्थ	3	100
(7) व्यावहारिक इलैक्ट्रानिक परिपथ	3	100
(8) विद्युत् तथा यांत्रिक इंजीनियरी	3	100 (60 अंक विद्युत इंजीनियरी और 40 अंक यांत्रिक इंजीनियरी के लिये) ।
(ख) **वैकल्पिक**—निम्नलिखित विषयों में से कोई दो :—		
(1) ध्वानिकी के सिद्धांत	3	100
(2) संचारण लाइनें और जाल	3	100

(1)	(2)	(3)
(3) ऐन्टेना और विद्युत् चुंबकीय तरंग-संचरण	3	100
(4) गणित	3	100
(5) रेडार और सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी जिसमें रेडियो सहायता और नौ-संचालन भी शामिल है ।	3	100
(6) प्रसारण और दूरवीक्षण प्रणाली	3	100

3. सभी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने चाहियें ।

4. उम्मीदवारों को सभी पत्रों के उत्तर स्वयं लिखने चाहियें । उत्तर लिखने के लिये उनको किसी भी दशा में लेखक की सहायता नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने विवेक पर परीक्षा के किसी एक विषय या सभी विषयों के अर्हता-अंक निश्चित करेगा ।

6. व्यक्तित्व परीक्षा में उम्मीदवार की निम्नलिखित क्षमताओं का निर्धारण करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा—नेतृत्व की क्षमता, पहल शक्ति और जिज्ञासा, चतुराई और अन्य सामाजिक गुण, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यावहारिक कार्य-क्षमता तथा चारित्रिक दृढ़ता ।

7. उथले ज्ञान के लिये अंक नहीं दिये जाएंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत काट दिये जाएंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक-ठीक की गई हो ।

परिशिष्ट 1 की अनुसूची

स्तर और पाठ्य विवरण

अंग्रेज़ी निबंध, सामान्य अंग्रेज़ी, सामान्य ज्ञान और सामयिक प्रसंग तथा विज्ञान के इतिहास के प्रश्नपत्रों का स्तर वही होगा जिसकी आशा इंजीनियरी/विज्ञान के ग्रेजुएट से की जा सकती है । किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

रेडियो भौतिकी, इलेक्ट्रानिक घटक और पदार्थ, व्यावहारिक इलेक्ट्रानिक परिपथ और विद्युत् और यांत्रिक इंजीनियरी के प्रश्नपत्र भारतीय विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी की डिग्री के स्तर के होंगे और प्रश्न इस प्रकार तैयार किये जाएंगे जिससे इस बात की परीक्षा हो सके कि उम्मीदवार को हर विषय के मूलतत्व की पकड़ है या नहीं ।

वैकल्पिक विषयों का स्तर ऐसा होगा जिसके लिये इंजीनियरी की समस्याओं से संबंधित विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होगी ।

(1) **अंग्रेजी निबंध**—कई विषयों में से किसी एक पर अंग्रेज़ी में निबंध लिखना होगा ।

(2) **सामान्य अंग्रेजी**—ऐसे प्रश्न जिससे उम्मीदवार की अंग्रेज़ी समझने और लिखने की योग्यता की परीक्षा हो सके । संक्षेप या सार लिखने के लिये अंश दिये जाएंगे ।

(3) **सामान्य ज्ञान तथा सामयिक प्रसंग**—इस प्रश्नपत्र में सामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन के प्रेक्षण और अनुभव सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा के लिये प्रश्न पूछे जाएंगे । साथ ही इसमें भारतीय इतिहास और भूगोल पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे ।

(4) **विज्ञान का इतिहास**—विज्ञान के विकास और उन्नति का इतिहास । महान वैज्ञानिक और विज्ञान को उनकी देन ।

(5) **रेडियो भौतिकी**—चुम्बकत्व परिभाषाएं तथा यूनिट, चुम्बकीय प्रेरण, हिस्टेरीसिस चुम्बकीय परिपथ । विद्युत्, यूनिट, पार वैद्युत्, आवेश, प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा परिपथ, प्रतिरोध वाले परिपथ, प्रेरक और संधारित्र, अनुनाद, वरण-क्षमता पर Q का प्रभाव, धारा, वोल्टता और शक्ति सम्बन्ध;

समस्वरित और असमस्वरित प्रवर्धक, दोलित्र, आवृत्ति, स्थायित्व, आवृत्ति गुणक और संनादी जनित्र, माडुलक ।

अभिग्रहण के सिद्धांत, बहुशाखी अभिग्रहण, परासंकरण अभिग्राहित्र ।

रेडियो तार, रेडियो टेलीफोन संचार तथा प्रसारण प्रणाली, तरंग दैर्ध्य और शक्ति विचार, संकेत से शोर के अनुपात की अपेक्षाएं, तरंग पारगमन और संचरण के सिद्धांत, एरियल—

प्रवाय और प्रति तुलन युक्तियां

आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन और फेज़ माडुलन, के सिद्धांत तथा संचार प्रणाली में उनका अनुप्रयोग ।

वाक् और श्रवण-संधि, ध्वानिकी के मूल सिद्धांत ।

(6) **इलेक्ट्रानिक घटक और पदार्थ**

प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरक और परिणामित्र—उनके लक्षण, निष्पादन और अनुप्रयोग ।

इलेक्ट्रानिक ट्यूबें जिसमें विशेष प्रयोजन ट्यूबें भी शामिल हैं—उनका निष्पादन और प्ररूपी अनुप्रयोग ।

अर्ध-चालक युक्तियां—दिष्टकारी के सिद्धांत और ट्रांज़िस्टर प्रकाश सुग्राहिता युक्तियां ।

दाब विद्युत पदार्थ ।

विद्युतरोधी और पदार्थ तारें, मुद्रित परिपथ ।

चुम्बकीय पदार्थ, स्थायी चुम्बक, मृदु चुंबकीय पदार्थ ।

रिले

(7) **अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रानिक परिपथ**

निम्नलिखित से सम्बद्ध परिपथ के सिद्धांत—

निर्वात ट्यूब प्रवर्धक, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्ररूपी परिपथ, पुन: प्रदाय, विस्तृत बैंड प्रवर्धक, दि० धा० प्रवर्धक ।

ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, प्ररूपी परिपथ, तापमान स्थायीकरण के लिये अभिकल्प ।

निम्न और उच्च आवृत्ति दोलित्र, रूद्ध परिपथ, श्रांति दोलित्र, आवृत्ति गुणक और विभाजक, आवृत्ति स्थायीकरण ।

स्पंद और प्रसर्प परिपथ, गणन परिपथ ।

माडुलक और परिचायक, आयाम, आवृत्ति और फेज माडुलन के लिए प्ररूपी परिपथ ।

इलेक्ट्रानिक उपस्करों के लिए शक्ति-पूर्ति प्रणाली—दिष्टकारी, फिल्टर, वोल्टता—नियमित शक्ति पूर्तियां ।

प्रेरणातापन, संधान और वैद्युत मोटरों की गति—नियंत्रण के लिए औद्योगिक इलेक्ट्रानिक परिपथ ।

दूरवीक्षण अभिग्राहितों में प्रयुक्त प्ररूपी परिपथ ।

(8) **विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी**

(क) **विद्युत इंजीनियरी** : दि० धा० मोटर और जनित्र—उनके अभिलक्षण और सामान्य लक्षण, मोटर प्रवर्तक ।

प्राथमिक और संचायी सेल ।

प्र० धा० परिपथ, शक्ति गुणक, परिणामित्र, प्रत्यावर्तित्र, तुल्यकाली, और प्रेरण मोटर, प्रवर्तक युक्तियां ।

दिष्टकारी और घूर्ण परिवर्तित्र ।

विद्युत उपयंत्र और माप—दि० धा० और प्र० धा० परिपथों में वोल्टता, धारा और शक्ति का माप, विभिन्न प्रकार के उपयंत्र और उनके लक्षण, प्ररूपी पुल ।

(ख) **यांत्रिक इंजीनियरी** : पदार्थों के गुणधर्म और सामर्थ्य तनाव में प्रतिबल और विकृति, संपीडन और अपरूपण, हूक का नियम, नम्य स्थिरांक, दण्ड में बंकन आघूर्ण और अपरूपण बल ।

आंतरिक दहन इंजिन—प्रधान घटक मानक और कार्यकर के सिद्धांत ।

साधारण मशीनी औजार और उनके प्रयोग ।

शक्ति का संचरण, पट्टी और गिअर चालन, प्रत्यक्ष युग्मन, बेयरिंग ।

घर्षण के सिद्धांत, स्नेहक और स्नेहन प्रणाली ।

लौह और अलौह पदार्थ—उनके गुणधर्म ।

(9) **ध्वानिकी सिद्धांत**

ध्वनि तरंग समीकरण, कपमान प्रणालियां, ध्वनि संचरण—विद्युत यांत्रिक ध्वानिकी परिपथ और फिल्टर ।

कक्ष ध्वानिकी, ध्वनि अवशोषक और विद्युत रोधी, अनुरणन, प्रसारण स्टूडियो का अभिकल्प ।

ट्रांस ड्यूसर – माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, अभिकल्प अभिलक्षण, माप और अशांकन ।

शोर नियंत्रण—ध्वनि विद्युतरोधी, माप ।

श्रवण और वाक् :—मनो-ध्वानिकी कसौटी, श्रव्यतमापी माप, उच्च तदरूपता प्रणालियां, यांत्रिक, चुंबकीय और फिल्म रिकार्डिंग और प्रतिश्रवण प्रणाली ।

(10) **संचरण लाइनें और जाल**

दो अंतस्थ जाल : आर० एल० और सी का संयोग, परिणामित्र—तुल्य जाल, दो अंतस्थ जालों का विश्लेषण और संश्लेषण । चार अंतस्थ जाल, रेखीय पैरामीटर प्रतिबिम्ब और पुनरावृत्ति पैरामीटर हानि घटक (फैक्टर), निवेशन हानियां । टेंडम योजन परावर्तन और पारस्परिक क्रिया हानियां । 'टी' और 'एच' प्रकार के क्षीणकारी पैड—जालक और सेतुबंध टी जाल नियत प्रतिरोध पुनरावृत्ति जाल समकारक ।

तरंग फिल्टर, पारक और क्षीणन बैंडों के लिए शर्तें, प्रतिबिम्ब पैरामीटरों पर आधारित फिल्टर अभिकल्पों के सिद्धांत, नियत 'के' और 'एम' व्युत्पन्न फिल्टर सेक्शन, (3, 4, 5 और 6 अवयव प्रकार के) निम्न पारक, उच्च पारक और बैंड पारक फिल्टर मिश्र और पूरक फिल्टर—फिल्टरों की आवृत्ति और बाधा सामान्यीकरण—समांतरण, विसरण और अंतस्थन के प्रभाव निम्न पारक फिल्टर से उच्च पारक और बैंड निम्न पारक फिल्टरों में अभिकल्पों का रूपांतरण विद्युत तरंग फिल्टरों के अभिकल्प में प्रारंभिक सिद्धांत ।

विद्युत लाइन के गुणधर्म, विद्युत लाइन के आर० एल० सी० का गुणात्मक मूल्य, प्रेषण लाइन समीकरण, क्षीणन और फेज विस्थापन । प्रेषण लाइनों में परावर्तन, किसी लाइन का किसी अंतस्थन के लिए समीकरण, परावर्तन हानियां और परावर्तन घटक । अग्रगामी तरंग पूर्ण और आंशिक परावर्तन के साथ लाइनों की प्रतिबाधा, वृत्त अरिख ।

निम्न आवृत्ति प्रेषण लाइनें, अभिलक्षण तार और टेलीफोन कार्यकरण के लिए विरूपण—लोडिंग ।

उच्च आवृत्ति प्रेषण लाइनें अभिलक्षण—खुले तार और सकेन्द्री प्रदायक, प्रतिबाधा घटक के रूप में प्रेषण लाइनें ।

अनुनाद लाइनें, उ० आ० लाइनों का प्रतितुलन ।

(11) **ऐन्टेना और तरंग संचरण**

विद्युत चुंबकीय समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का विकिरण, क्षेत्र तीव्रता ।

विकिरण प्रतिरूप, दिशात्मक प्रणाली ऐंटेना के लाभ, दीर्घ, मध्यम, लघु और अति उच्च आवृत्ति के लिए ऐंटेना कम व्यावहारिक अभिकल्प । दिशा संधान के लिए ऐंटेना ।

रेडियो आवृत्ति प्रेषण लाइनें, युग्मन जाल, प्रेषण लाइनों का प्रतितुलन, प्रदायक लाइनों और स्विचिंग प्रणाली का अभिकल्प ।

संचरण—भू, क्षोभ मण्डल, आयन मण्डल और शोर क्षेत्र सामर्थ्य की माप ।

(12) **गणित**

मूल धारणा

फलन—औसत दरें—सीमाएं

मूल संक्रियाएं

व्युत्पन्न—अवकल—उच्च व्युत्पन्न उच्चिष्ट और निम्निमा—समाकल—निश्चित समाकल ।

और संक्रियाएं

समाकलन प्रविधि—द्वि समाकल ।

अनन्त श्रेणी

परिभाषाएं—ज्यामितिक श्रेणियां—अभिसारी और अपसारी श्रेणियां—सामान्य प्रमेय—तुलना परीक्षण—कौशी का

समाकलन परीक्षण–कौसी का अनुपात परीक्षण–एकांतर श्रेणियां–निरपेक्ष अभिसरण–घात श्रेणियां–घात श्रेणियों से सम्बन्धित प्रमेय–फलन की श्रेणियां और एक समान अभिसरण–श्रेणियों का समाकलन और अवकलन–टेलर की श्रेणियां-टेलर की श्रेणियों का प्रतीकात्मक समघा घात श्रेणियों के द्वारा समाकलन का मानांकन –मैक्लोरीन की श्रेणियों से व्युत्पन्न स्थूल सूत्र–फलनों के संगणन के लिए श्रेणियों का उपयोग–किसी अपरिमित समघात को लेकर किसी फलन का मानांकन।

समिश्र संख्या

भूमिका–संमिश्र संख्या–संमिश्र संख्यायों के हेर-फेर के नियम–ग्राफीय निरूपण और त्रिकोणमितीय समघात–घात और मूल-चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन–अतिपरिवलयिक फलन–लघुगणिकाय फलन–प्रतिलोमक अतिपरिवलयि और त्रि-कोणमितीय फलन।

आवर्ती घटनाओं का गणितीय निरूपण

फूरिए समाकल और फूरिए श्रेणियां

भूमिका––सरल आवर्त कम्पन–अधिक जटिल आवर्ती घटना का निरूपण फूरिए श्रेणी–फूरिए फलन प्रसरण के उदाहरण–फूरिए-श्रेणियों के अभिसरण के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां–गुणनफल का औसत और प्रभावी मानांकन–माडुलित कंपन और विस्पंद-तरंगों के रूप में आवर्ती विक्षोभ का संचरण–फूरिए का समाकलन।]

रैखिक बीजीय समीकरण सारणिक और मैट्रिक्स

साधारण सारणिक–फलनिक परिभाषाएं––दाप्लासि प्रसरण–सारणिकों का मूल अभिलक्षण–संख्यात्मक सारणिकों का मानांकन–मैट्रिक्स की परिभाषा––विशेष मैट्रिक––मैट्रिक की समता––मैट्रिक्सों का जोड़, घटाना––और गुणा––मैट्रिक्सों का भाग––प्रतिलोम मैट्रिक्स––परिवर्तक और व्युत्क्रम गुणनफल में उत्क्रमण नियम––विकर्ण और ऐकिक मैट्रिक्स के अभिलक्षण––मैट्रिक्सों का उपमैट्रिक्सों में विभाजन––विशेष प्रकार के मैट्रिक्स––n रेखीय समीकरणों का n अज्ञात में साधन।

अचर गुणांक सहित रेखीय अवकल समीकरण

समानीत समीकरण––पूरक फलन––संकारक रेखा (डी) के गुणधर्म––निर्धारित गुणांक रीति––साधारण सरल लाप्लासि–अचर गुणांक सहित रेखीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए रूपांतरण या संक्रिया रीति––रूपांतरणों का सरल परिकलन–अचिर गुणांक के साथ रेखीय अवकल समीकरण की रीति।

अवकल समीकरण के हल में लाल्पासि रूपांतरणों का प्रयोग

संकेतन–आधारी प्रमेय।]

रेखीय पिण्डित विद्युत परिपथ का दोलन

विद्युत–परिपथ सिद्धांत–ऊर्जा विचार–साधारण श्रेणियों के परिपथ का विश्लेषण–संधारित्र का आवेश और विसर्जन––अन्योन्य प्रेरकत्व सहित परिपथ संघारित्र से युग्मित परिपथ––परिमित विभव स्पंदों का प्रभाव–साधारण जाल का विश्लेषण–अपरिवर्ती दशा साधन––प्रत्यावर्ती धारा अपरिवर्ती दशा में चार-अंतस्थ जाल–चार अंतस्थ जाल के रूप में प्रेषण लाइन।

आंशिक अवकलन

आंशिक व्युत्पन्न–टेलर के प्रसार का प्रतीकात्मक समघात–मिश्र फलन का अवकलन–चरों का परिवर्तन–प्रथम अवकल–अस्पष्ट फलन का अवकलन–उच्चिष्ठ निम्निष्ठ–निश्चित समाकल का अवकलन–समाकल चिह्न के अन्तर्गत समाकलन–कुछ निश्चित समाकलों का मानांकन–विचरणों के कलन के तत्व–विचरणों के कलन के मूल सूत्रों का सार–हैमिल्टन सिद्धांत–लैगरेंज समीकरण–अतिरिक्त दशाओं के साथ विचरण–समस्या समपरिपामी समस्याएं।

सदिश विश्लेषण

सदिश की संकल्पना–सदिशों का जोड़ और घटाना–अदिश से सदिश का गुणा––दो सदिशों का आदिश गुणनफल–बहुगुणनफल–समय के सम्बन्ध में सदिश का अवकलन–प्रवणता अपसरण और गौस–प्रमेय–सादेश क्षेत्र का कर्ल और स्टौक का प्रमेय–संकारक का उत्तरोत्तर अनुप्रयोग–लम्बकोणीय वक्ररेखीय निर्देशांक–द्रवगतिकी का अनुप्रयोग–घनाकृति में ऊष्मा प्रवाह का समीकरण–गुरुत्वीय विभव–मैक्सेवल समीकरण–तरंग समीकरण–त्वचा–विसरित का प्रभाव–समीकरण–टेंसर (गुणात्मक परिचय) निर्देशांक रूपांतरण–अदिश–प्रतिचर सदिश–सहपरिवर्तन सदिश–टेंसरों का जोड़, गुणा और संकुचन–सहचारी टेंसर–निश्चर का अवकलन–टेंसरों का अवकलन–क्रिस्टोफल-प्रतीक–उच्च कोटि के टेंसरों का नैज और सह परिवर्त व्युत्पन्न–कण की गतिकी के विश्लेषण के लिए टेंसर का अनुप्रयोग।

संमिश्र चर के सिद्धांत के तत्व

समिश्र चर के सामान्य फलन–संमिश्र फलनों के व्युत्पन्न और कौसी रीमान अवकल समीकरण रेखा समाकल–कौसी समाकल प्रमेय–कौसी समकल सूत्र-टेलर श्रेणियां, लौरेन श्रेणियां अवशेष–कौसी अवशेष प्रमेय–विश्लेषणिक फलन के विचित्र बिन्दु–अवशेषों के अपरिमित मानांकन पर बिन्दु–ल्यूविली प्रमेय–निश्चित समाकल का मानांकन–जोर्डन का बहु मानित फलन सहित लामा अवकलन।

संक्रियात्मक और रूपान्तर रीतियां

फूरिएमेलिन प्रमेय–मूल नियम–प्रत्यक्ष रूपांतर का परिकलन––प्रतिलोभ रूपांतर का परिकलन–परिवर्तित समाकल–आंशिक अवकल समीकरण के हल में संक्रियात्मक कलन का आवेगी संक्रिया अनुप्रयोग–अवकल का मानांकन–रैखिक समाकल समीकरण के हल में लाप्लासि रूपांतर का अनुप्रयोग–चर गुणांक से साधारण अवकल समीकरण का हल-लाप्लासि रूपांतर के द्वारा फूरिए श्रेणियों का संकलन।

13. रेडार और सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी-जिसमें नौसंचालन को रेडियो सहायता भी शामिल है

सिद्धांत, वियोजन, यथार्थता और व्याप्ति, रेडार परास समीकरण रेडार आवृत्ति और विभिन्न प्रकार के उपस्कर।

स्पंद परिपथ और जाल, स्ट्रोब और गेटिंग परिपथ–विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन और संबद्धित सर्क्यूचरी–माडुलन और इनके सिद्धांत।

रेडार अभिग्रहण परिपथ।

विभिन्न प्रकार के रेडार ऐंटेना और प्रदाय प्रणाली–परावर्तक और उनके अभिकल्प, सूक्ष्म तरंग साहुल–तरंग पथ निर्धारित्र, प्रेषण की विधि, प्रतिबाधा–प्रतिसुलन–चोक संधि–दिशा युग्मक टी० आर० युक्ति।

अ० उ० आ० ट्रायोड दोलक–क्लिस्ट्रान मैगनेट्रान–चल तरंग ट्यूब–दक्षता आरेख–वायु साधित और भूमि स्थित रेडार प्रणाली के सिद्धांत और अभिलक्षण–दिशा संधान का सिद्धांत।

नौसंचालन के सिद्धांत जैसे–लौरान डेका और डाप्लर।

इलेक्ट्रानिक तुंगतामापी के सिद्धांत।

(14) **प्रसारण और दूरवीक्षण सिद्धांत**

दीर्घ, मध्यम और लघु तरंगों तथा अ० उ० आ० पर प्रसारण–व्याप्तियां, क्षेत्र सामर्थ्य शोर और व्यक्तिकरण–भू तरंग संचरण व्योम तरंग संचरण–मंदन घटना।

स्टूडियो और सभाभवन, शोर तल के अनुसार अभिकल्प, अनुकरण ध्वनि तल और ध्वनि वितरण–संवातन और प्रदीप्ति।

स्टूडियो और नियंत्रण कक्ष उपस्कर, माइक्रोफोन–उत्पादन के आधार पर अभिकल्प विचार-प्रतिबाधा–ध्वनि तल–अनुदिशत्व–शोर और तद्रूपता–माइक्रोफोन का चुनाव–माइक्रोफोन से प्रेषित्र में श्रव्य कड़ी में श्रृंखला विशेष लक्षण और अभिकल्प विचार। रिकार्ड और प्रतिश्रवण।

प्रसारण प्रेषित्र, प्रसारण की अपेक्षाएं–माडुलन–प्रवर्धक और शक्ति पूर्ति प्रणाली।

परासंकरण अभिग्राही परिपथ का अभिकल्प–प्रसार–अभिग्राहियों में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग।

प्रसारण में आवृत्ति माडुलन।

कैमरों, प्रेषित्रों और अभिग्राहित्रों में दूरवीक्षण परिपथ; चित्र मानक; प्ररूपी प्रेषित्र और अभिग्राहित्र; प्रकाश व्यवस्था और स्टूडियो उपस्कर।

परिशिष्ट II

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के सम्बन्ध में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं ताकि वे अपेक्षित शारीरिक मानकर पर अपने पूरा उतरने की संभाव्यता को सुनिश्चित कर सकें। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों और उस उम्मीदवार के मार्ग दर्शन के लिए भी हैं जिसे विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी न कर सकने के कारण स्वास्थ्य परीक्षक योग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। फिर भी किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में दिए गए मानकों के अनुसार अयोग्य ठहराया जाने पर मेडिकल बोर्ड के लिए यह अनुमेय होगा कि वह विशिष्टत: लिखित कारण बता कर भारत सरकार से सिफारिश कर सके कि उस उम्मीदवार को सरकार के अहित के बिना सेवा में लिया जा सकता है।

2. किन्तु यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकार या स्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।]

1. नियुक्ति के योग्य ठहराया जाने के लिए उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसकी नियुक्ति के बाद कर्त्तव्य को दक्षतापूर्वक निभाने में संभवतया बाधा पहुंचाए।

2. (क) भारतीय (एंग्लो इण्डियन समेत) प्रजाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के सहसम्बन्ध के विषय में मेडिकल बोर्ड उम्मीदवारों की परीक्षा में निर्देशन के रूप में जिन सहसम्बन्ध आंकड़ों को सब से अधिक उपयुक्त समझे काम में ला सकता है। यदि कद, वजन और छाती के घेर के बारे में कोई विषमता हो तो बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य घोषित किया जाने से पूर्व उसे अन्वेषण के लिए अस्पताल में रखा जाएगा और उसकी छाती का एक्सरे लिया जाएगा।

(ख) किन्तु कुछ विशेष सेवाओं के लिए कद और छाती के घेर के न्युनतम मानक, जिनके बिना उम्मीदवार को स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इस प्रकार हैं:

	कद	छाती का घेरा (पूरा फैला कर)	विस्तार	
	से०मी०	से०मी०	से०मी०	
विदेश संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पद .	152	84	5	(पुरुषों के लिये)।
	146	74	5	(महिलाओं के लिये)।

गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड, आदिवासी आदि प्रजातियों के उम्मीदवारों, जिनका औसत कद स्पष्टत: कम होता है, के मामले में निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जाती है।

3. उम्मीदवार का कद इस प्रकार मापा जाएगा:—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टैंडर्ड) के सामने इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन एड़ियों पर पड़े, पंजों पर या पांव के किसी हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि उसकी एड़ियां, पिण्डलियां, नितम्ब और कंधे दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वरटेक्स आफ हैडलैवल) हारिजेंटूल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और सेंटी मीटर के आधे भाग में रिकार्ड किया जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती निम्नलिखित विधि से मापी जाएगी:—

उसे इस भान्ति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों उसकी बाहें सिर के ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा पीछे असफलकों के निम्न कोणों के साथ लगा रहे और यह इसी आड़े तल में उस समय भी बना रहे जब फीता छाती के गिर्द लगाया जाए। फिर उम्मीदवार अपनी बाहें पार्शवों पर ढीली लटकाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊंचे उठे हुए और पीछे की ओर झुके न हों जिससे फीता न हिले। इसके बाद उम्मीदवार को कई बार गहरी

सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिकतम विस्तार उसी समय सावधानी से लिख लिया जाएगा और फिर न्यूनतम और अधिकतम सेंटीमीटरों में 84–89, 86–93.5 आदि रिकार्ड किया जाएगा। माप लिखते समय आधा सेंटीमीटर से कम के भिन्न नहीं लिखने चाहिएं।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में दर्ज किया जाएगा। आधा किलोग्राम के भिन्न नोट नहीं करने चाहिएं।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम दर्ज किया जाएगा।

(i) **सामान्य**:—उम्मीदवार की आंखों में किसी रोग या अपसामान्यता का पता लगाने के लिए उनकी सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार को भेंगापन या आंखों, पलकों या सन्निहित संरचनाओं के कोई ऐसे विकार हुए जो उसको सेवा के लिए अयोग्य बनाते हों या जिनसे भविष्य में अयोग्य बनाए जाने की संभावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) **दृष्टि तीक्ष्णता** :—दृष्टि की तीक्ष्णता का निर्धारण करने के लिए दो जांचे की जाएंगी, एक दूर की नजर के लिए और दूसरी पास की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

न्यूनतम बिना चश्मा (नेकेड) नेत्र दृष्टि के लिए कोई सीमा नहीं है लेकिन हरेक उम्मीदवार की बिना चश्मा नेत्र दृष्टि मेडिकल बोर्ड या अन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी क्योंकि इससे नेत्र की अवस्था के बारे में आधारी जानकारी मिल जाएगी।

चश्मा लगा कर और बिना चश्मा दूर की और नजदीक की नजर के मानक निम्नलिखित होंगे :—

	दूर की नजर		नजदीक की नजर	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
1. सिविल विमानन विभाग में सहायक तकनीकी अधिकारी और	6/9	6/9	Sn.0.6	Sn.0.8
	या			
बेतार योजना और समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन के इंजीनियर	6/6	6/12		
2. आकाशवाणी के सहायक स्टेशन इंजीनियर (प्रथम श्रेणी)	6/9	6/9	Sn.0.6	Sn.0.8
	या			
	6/6	6/12		

नोट : (1)—ऊपर 2 में उल्लिखित सेवा के लिए।

निकट दृष्टिता मायोपिया (सिलिण्डर समेत) का कुल परिमाण—4.00 डी० से अधिक नहीं होगा। दूर दृष्टिता—हाइपरमेट्रोपिया (सिलिण्डर समेत) का कुल परिमाण +4.00 डी० से अधिक नहीं होगा।

नोट : (2) ऊपर 1 में उल्लिखित सेवा के लिए।

(क) **20 साल तक की आयु के उम्मीदवारों के लिए :**

निकट दृष्टिता का कुल परिमाण—6.00 डी० से अधिक नहीं होगा। दूर दृष्टिता का कुल परिमाण+6.00 डी० से अधिक नहीं होगा।

(ख) **20 साल से ऊपर की आयु के उम्मीदवारों के लिए :**

निकट दृष्टिता का कुल परिमाण—8.00 डी० से अधिक नहीं होगा। दूर दृष्टिता का परिमाण+6.00 डी० से अधिक नहीं होगा।

नोट (3)—**फण्डस परीक्षा** : जहां कहीं संभव होगा फण्डस परीक्षा मेडिकल बोर्ड के विवेक पर की जाएगी और इसके परिणाम दर्ज किए जाएंगे।

नोट (4)—**रंग दृष्टि** : (i) ऊपर 2 में उल्लिखित सेवा के लिए रंग दृष्टि की जांच अनिवार्य है।

(ii) रंग बोध को उच्चतर और निम्नतर कोटि में श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। यह लालटेन के छिद्र के आकार पर निर्भर है जैसा कि नीचे की सारणी में वर्णित है।

ग्रेड	रंग बोध की उच्चतर कोटि	रंग बोध की निम्नतर कोटि
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. छिद्र का आकार .	13 मि० मी०	13 मि० मी०
3. उद्भासन का समय	5 सैक०	5 सैक०

जनता की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं, जैसे विमान-चालक (पाइलट), चालक (ड्राइवर), रक्षक (गार्ड) आदि के लिए रंग दृष्टि की उच्चतर कोटि अनिवार्य है परन्तु अन्य के लिए रंग दृष्टि की निम्नस्तर कोटि को ही पर्याप्त समझना चाहिए। उन सभी इंजिनीयरी कार्मिकों के लिए रंग दृष्टि के यही मानक लागू होंगे जिनके मामले में इस तथ्य पर विचार किए बिना कि उन्हें फील्ड में काम करना होता है कि नहीं, रंग बोध अनिवार्य समझा जाता है।

(iii) सिगनल लाल, सिगनल हरा और सफेद रंगों को आसानी से और बिना द्विविधा के पहचान लेना संतोषजनक रंग दृष्टि मानी जाती है। अच्छी रोशनी और एडरिज ग्रीन की लालटेन जैसी उपयुक्त लालटेन में दिखाई गई इशीवारा की प्लेटों का उपयोग रंग दृष्टि की जांच के लिए सर्वथा विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जाता है, लेकिन सड़क रेल, और वायु यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लालटेन जांच करना अनिवार्य है। संदिग्ध

मामलों में जहां कोई उम्मीदवार दोनों जांचों में से केवल किसी एक जांच में ठीक न उतरे, वहां दोनों जांचें की जानी चाहिएं ।

नोट (5) दृष्टि क्षेत्र : सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फन्टेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का परिणाम असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पेरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

नोट (6) रतौंधी : नेमी जांच के रूप में रतौंधी की जांच करना आवश्यक नहीं है किन्तु विशेष मामलों में यह जांच की जानी चाहिए । रतौंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच के लिए कोई नियत मानक नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसी काम चलाऊ जांच कर लेनी चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जा कर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना । उम्मीदवार के अपने कथनों पर सर्वदा विश्वास नहीं करना चाहिए, परन्तु उनके कथनों पर उचित विचार किया जाना चाहिए ।

नोट (7) दृष्टि तीक्ष्णता से भिन्न नेत्र अवस्थाएं : (क) नेत्र के उस रोग को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि को जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि तीक्ष्णता कम होने ही संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए ।

(ख) **रोहे :** यदि रोहे उपद्रव युक्त (कंप्लिकेटेड) न हों तो वे साधारणतया अयोग्यता का कारण नहीं होंगे ।

(ग) **भेंगापन:** ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए द्विनेत्री दृष्टि का होना लाजमी है । नियत मानक की दृष्टि तीक्ष्णता होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । अन्य सेवाओं के लिए नियत मानक की दृष्टि तीक्ष्णता होने पर भेंगापन को अयोग्ता का कारण नहीं समझना चाहिए ।

(घ) **एक आंख वाले व्यक्ति :** नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती ।

7. **रक्त दाब**

रक्त दाब के सम्बन्ध में बोर्ड अपने विवेक से काम लेगा । सामान्य (नार्मल) उच्चतम प्रकुंचन दाब के परिकलन की काम चलाऊ विधि निम्नलिखित है :

(i) 15 से 25 वर्ष की आयु के युवा व्यक्तियों में औसत रक्त दाब उस व्यक्ति की आयु में 100 जोड़ देने के लगभग बराबर होता है ।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में 110 में व्यक्ति की आधी आयु जोड़ देने का सामान्य नियम सर्वथा संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दीजिए: *सामान्यतः 140 से ऊपर का प्रकुंचन दाब* और 90 से ऊपर का अनुशिथिलन दाब संदिग्ध समझना चाहिए और बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराया जाने के बारे में अपनी अंतिम राय देने से पहले उसे अस्पताल में रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि क्या उत्तेजना आदि के कारण अन्य स्थायी रक्त दाब होता है अथवा रक्त दाब का कारण कोई आंगिक रोग है । ऐसे सभी रोगियों में नेमी रूप से हृदय की एक्सरे और विद्युत्हृद्लेखी परीक्षाएं की जानी चाहिए और रक्त यूरिया उत्सर्जन जांच भी की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य या अयोग्य होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

रक्त दाब लेने की विधि

नियमतः पारद दाबमापी प्रकार का यंत्र काम में लाना चाहिए । किसी भी प्रकार के व्यायाम या उत्तेजना के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । यदि जांच के दौरान रोगी और विशेषतः उसकी भुजा शिथिल अवस्था में ही रह पाए तो वह लेटा या बैठा रह सकता है । रोगी के पार्श्व पर कुछ कुछ पड़ी (हारिजेंटल) स्थिति में भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है ।

भुजा पर से कंधे तक वस्त्र हटा देने चाहिएं । कफ़ में से पूरी तरह हवा निकाल कर रबड़ के बीच के भाग को भुजा के अंदर की ओर रख कर और इसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को थैली पर समान रूप से फैला कर लपेटना चाहिए जिससे हवा भरने पर उभार न हो ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगण्ड धमनी का दबा दबा कर पता लगाया जाता है और तब इसके ऊपर हल्के से और बीचों-बीच नीचे स्टेथोस्कोप लगाया जाता है जो कफ़ के साथ न लगे । कफ़ में लगभग 200 मि०मि० एच०जी० तक हवा भरी जाती है और फिर धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर कालम टिका होता है वह प्रकुंचन दाब का द्योतक है । और अधिक हवा निकालने पर ध्वनियां और भी तेज सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर अच्छी सुनाई पड़ने वाली स्पष्ट ध्वनियां हल्की दबी हुई सी क्षीण होती हुई ध्वनियों में बदल जाती है वह स्तर अनुशिथिलन दाब का द्योतक है । रक्त दाब थोड़े से समय में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि लम्बे समय तक कफ़ का दाब रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे पाठ्यांक गलत हो जाएंगे । यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ़ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ-एक मिनट के बाद ही ऐसा करना चाहिए । कभी-कभी ऐसा होता है कि ज्यों ही कफ़ में से हवा निकाली जाती है, एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं । दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं तथा इसके भी निम्नतर स्तर पर फिर से सुनाई पड़ने लगती हैं । इस ध्वनि रहित अंतर (साइलेंट गैप) से पाठ्यांक में गलती हो सकती है ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में आम रासायनिक जांचों से शर्करा (शुगर) का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा तथा मधुमेह के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी नोट करेगा । यदि शर्करामेह को छोड़कर बोर्ड उम्मीदवार को अपेक्षित स्वस्थता मानक के अनुरूप पाए तो वे उम्मीदवार को इस शर्त पर योग्य घोषित कर सकते हैं कि शर्करामेह अमधुमेही हो और बोर्ड उम्मीदवार को काय चिकित्सा के ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेज देगा जिसके यहां अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । काय चिकित्सा विशेषज्ञ जो भी नैदानिक या प्रयोगशाला परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा । इनमें मानक रक्त शर्करा सह्यता जांच शामिल है । वह अपनी राय मेडिकल

बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'योग्य' या 'अयोग्य' की अंतिम राय आधारित होगी । दूसरी बार उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा । औषध प्रयोग के प्रभावों को दूर करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को अस्पताल में कई दिन तक सख्त निगरानी में रखा जाए ।

9. निम्नलिखित बातों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को प्रत्येक कान से अच्छा सुनाई देता है और कान के रोग का कोई चिन्ह नहीं है । यदि कोई खराबी हो तो कर्ण विशेषज्ञ द्वारा उम्मीदवार की परीक्षा करवानी चाहिए । यदि सुनने में खराबी शल्यक्रिया या श्रवण सहायक यंत्र के इस्तेमाल से ठीक हो सके तो रोगी को इसके कारण अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि उसके कान में बढ़ने वाली बीमारी न हो ।

(ख) उसे बोलने में कोई रुकावट नहीं होती है ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं और आवश्यक होने पर चबाने के लिए नकली दांत लगे हैं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) वक्ष का आकार ठीक है और उसका वक्ष विस्तार पर्याप्त है तथा उसका हृदय और फुप्फुस ठीक है ।

(ङ) कोई उदर रोग नहीं है ।

(च) उसे हर्निया नहीं है ।

(छ) उसे जलवृषण (हाइड्रोसील), अत्यधिक वृषण शिरापस्फीति (वेरिकोसील) अपस्फीत शिराएं या बवासीर नहीं है ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पांवों का आकार अच्छा है और उनका विकास ठीक हुआ है । उसके सभी जोड़ स्वतंत्र रूप से और भली भांति हिलते हैं ।

(झ) उसे कोई पुराना त्वचा रोग नहीं है ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या खराबी नहीं है ।

(ट) किसी उग्र या जीर्ण रोग के निशान नहीं हैं जो क्षीण गठन के द्योतक हों ।

(ठ) कारगर चेचक के टीके के निशान हैं ।

(ड) उसे कोई संचारी रोग नहीं है ।

10. हृदय और फुप्फुसों की किसी ऐसी अपसामान्यता का पता लगाने के लिए, सभी उम्मीदवारों की वक्ष की एक्सरे परीक्षा नेमी रूप से की जानी चाहिए, जो साधारण शारीरिक परीक्षा से दिखाई न दे ।

जब किसी खराबी का पता लगे, इसे प्रमाण-पत्र में लिख देना चाहिए और स्वास्थ्य परीक्षक को अपनी राय बता देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन में इससे बाधा पड़ने की संभावना है कि नहीं ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उक्त पदों के लिए उनकी शारीरिक योग्यता का निर्णय करने के लिए नियुक्त विशेष या स्थायी मेडिकल बोर्ड से अपील का कोई अधिकार नहीं है । तथापि, यदि प्रस्तुत किए गए प्रमाण से सरकार को इस बात का विश्वास हो जाए कि पहले बोर्ड के निर्णय में भूल होने की संभावना है तो सरकार एक अन्य बोर्ड से अपील करने की इजाजत दे सकती है । ऐसा प्रमाण उस पत्र की, जिसमें उम्मीदवार को पहले मेडिकल बोर्ड का निर्णय सूचित किया गया हो, तारीख से एक महीने के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा दूसरे मेडिकल बोर्ड के लिए की गई अपील के निवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि कोई उम्मीदवार पहले मेडिकल बोर्ड के निर्णय में भूल होने की संभावना के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो इस प्रमाण-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित प्रेक्टीशनर की इस आशय की एक टिप्पणी उसमें न हो कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य की पूरी जानकारी होते हुए दिया गया है कि उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा पहले से ही सेवा के लिए अयोग्य के रूप में अस्वीकृत किया जा चुका है ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

स्वास्थ्य परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जा रही है :—

1. शारीरिक योग्यता के अपनाए जाने वाले मानक में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल का, यदि कोई हो, उचित ध्यान रखना चाहिए ।

सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को योग्य नहीं माना जाएगा जिसके बारे में सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो, यह तसल्ली नहीं हो जाती कि उसे कोई ऐसा रोग, गठनात्मक रोग या शारीरिक दौर्बल्य नहीं है जिसके कारण वह उस सेवा के अयोग्य हो गया है या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह समझ लेना चाहिए कि शारीरिक योग्यता के प्रश्न का भविष्य में भी उतना ही सम्बन्ध है जितना वर्तमान से है और स्वास्थ्य परीक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निरन्तर प्रभावी सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु के कारण जल्दी पेंशन या अदायगी रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि प्रश्न निरन्तर प्रभावी सेवा की संभावना का है और किसी ऐसे दोष के होने पर, जो केवल बहुत कम मामलों में निरन्तर प्रभावी सेवा में बाधा पहुंचाने वाला पाया गया हो, उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह नहीं दी जानी चाहिए ।

जब कभी किसी महिला उम्मीदवार की परीक्षा की जानी हो तब मेडिकल बोर्ड में एक, लेडी डाक्टर को भी एक सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाए ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय है ।

जिन मामलों में किसी उम्मीदवार को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो उनमें अस्वीकृति के कारणों की सूचना मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दोषों की बारीकियों में न जाकर मोटे तौर पर उम्मीदवार को दी जा सकती है ।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड यह समझता है कि उम्मीदवार को सरकार सेवा के लिए अयोग्य ठहराने वाली मामूली अशक्तता चिकित्सा (काय-चिकित्सा या शल्य चिकित्सा) द्वारा दूर की जा सकती है, इस आशय का कथन मेडिकल बोर्ड द्वारा

रिकार्ड किया जाना चाहिए। इस बारे में बोर्ड की राय उम्मीदवार को सूचित किए जाने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है और जब इलाज किया जा चुके तो प्राधिकारी उम्मीदवार को दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने भेज सकता है।

जिन उम्मीदवारों को "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किया जाना हो उनके सम्बन्ध में पुनः परीक्षा के लिए दी गई अवधि सामान्यतः अधिक से अधिक छः महीने होनी चाहिए। दी गई अवधि के बाद पुनः परीक्षा करने पर इन उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवधि के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए अपितु नियुक्ति के लिए योग्य या अयोग्य ठहराये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय दे देना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का बयान और घोषणा

उम्मीदवार को अपनी स्वास्थ्य-परीक्षा से पूर्व नीचे मांगा गया विवरण अवश्य देना चाहिए और इस विवरण के साथ लगे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिएं। नीचे दी गई टिप्पणी में दी गई चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :—

1. अपना पूरा नाम (साफ अक्षरों में) लिखें.........

....

2. अपनी आयु और जन्म स्थान लिखें..............

....

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिवासियों इत्यादि की उन प्रजातियों के हैं जिनका औसत कद विशिष्ट रूप से कम होना है? 'हां' अथवा 'नहीं' में उत्तर दें और यदि उत्तर 'हां' है तो प्रजाति का नाम दें.............

(क) क्या आपको कभी चेचक, विरामी या कोई अन्य ज्वर ग्रंथियों की अावृद्धि या पूयता, थूक में खून आना, दमा, हृदय रोग, फुफ्फुस रोग, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) कोई अन्य रोग या दुर्घटना हुई, जिसके कारण बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा हो और काय चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की गई हो?

4. अन्तिम बार आपको चेचक आदि का टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अतिश्रम अथवा किसी अन्य कारण से किसी रूप में अधीरता का रोग हुआ है?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :

पिता की आयु, यदि जीवित हो, और स्वास्थ्य कैसा है	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी आयु और स्वास्थ्य कैसा है	मृतक भाइयों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

माता की आयु यदि जीवित हो, और स्वास्थ्य कैसा है	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या, उनकी आयु और स्वास्थ्य कैसा है	मृतक बहनों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या पहले किसी मेडिकल बोर्ड द्वारा आपकी परीक्षा की गई है?

....

8. यदि उपर्युक्त का उत्तर हां है तो कृपया बताएं कि किस सेवा (सेवाओं)/पद (पदों) के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?...

....

9. परीक्षा अधिकारी कौन था?...............

....

10. मेडिकल बोर्ड कब और कहां बैठा था?.........

....

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम, यदि आपको बताया गया हो अथवा ज्ञात हो.....................

....

मैं घोषित करता हूं, कि जहां तक मुझे पता है, उपर्युक्त उत्तर सत्य और सही है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

....

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गए

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर।

टिप्पणी : उपर्युक्त विवरण की यथार्थता के लिए उम्मीदवार को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जानबूझ कर कोई सूचना छिपाने **से उसे नियुक्ति खो बैठने का और, यदि नियुक्ति हो गई तो निवर्तन** भत्ते या अनुदान के सारे दावे से वंचित होने का जोखिम उठाना पड़ेगा।

(ख) ....(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा......बीच का......कम......पोषण : पतला......औसत......मोटा........वजन......(जूते उतार कर) वजन......इष्टतम वजन......कब?.....हाल ही में वजन में हुआ परिवर्तन...............तापमान...............

छाती का घेरा :

(1) (पूर्ण प्रश्वसन के बाद)

(2) (पूर्ण उच्छ्वसन के बाद)

2. त्वचा : कोई प्रकट रोग.....................

3. आंखें : (1) कोई रोग.....................

(2) रतौंधी.....................

(3) रंग दृष्टि का दोष.....................

(4) दृष्टि क्षेत्र.....................

(5) दृष्टि तीक्ष्णता.....................

दृष्टि तीक्ष्णता		चश्मे के बिना	चश्मे के साथ	चश्मे की क्षमता		
				स्फेरिकल	सिलिंड्रिकल	अक्ष
दूर की नजर	दा आ					
	बा आं					
नजदीक की नजर	दा आ					
	बा आ					
दूर दृष्टिता (स्पष्ट)	दा आ					
	बा आं					

4. कर्ण : निरीक्षण......श्रवण : दांया कर्ण...... बायां कर्ण......

5. ग्रंथियां.................. अवटु (थाइरायड)

6. दांतों की अवस्था.....................

7. श्वसन तंत्र : क्या शारीरिक परीक्षा से श्वसनेंद्रियों मे कोई अपसामान्य बात प्रकट होती है ?.................

यदि हा तो पूर्णतया स्पष्ट करे.................

8. परिसंचरण तंत्र :

(क) हृदय : कोई आंगिक विक्षति ?

दर..........खड़े होने पर..........

25 बार कूदने के बाद.................

कूदने के दो मिनट बाद...............

(ख) रक्त दाब : प्रकुंचन.................

अनुशिथिलन.....................

9. उदर : घेर.........स्पर्शसह्यता.........

हर्निया...............

(क) परिस्स्पृश्य : यकृत्........प्लीहा.........

वृक्क..........अर्बुद..............

(ख) अर्श.........नालव्रण.............

10. तंत्रिका तंत्र : तंत्रिका या मानसिक अशक्तता के लक्षण...

11. गति प्रेरक तंत्र : कोई अपसामान्यता............

12. प्रजनन-मूत्र तंत्र : जलवृषण, वृषण शिरापस्फीति, इत्यादि का कोई चिह्न.....................

मूत्र विश्लेषण :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है....(ख) आ० गु०....

(ग) ऐल्ब्युमिन.............

(घ) शर्करा..............

(ङ) निर्मोक..............

(च) कोशिकाएं............

13 छाती की ऐक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट...........

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जो उसे उस सेवा के कर्तव्य-भार को दक्षता से करने के अयोग्य बना सकती है जिसके लिए वह उम्मीदवार है ?

15. उम्मीदवार की परीक्षा किन सेवाओं के लिए की गई है और उसे किन सेवाओं के लिए अपना कर्तव्य-भार दक्षता से निरन्तर पूरा करने के लिए सभी दृष्टियों से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के अयोग्य ठहराया गया है ?

16. क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा के योग्य है ?

टिप्पणी : बोर्ड को अपने जांच परिणाम नीचे की तीन श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत रिकार्ड करने चाहिएं :

(i) योग्य

(ii) ....के कारण अयोग्य

(iii) ....के कारण अस्थायी रूप से अयोग्य

अध्यक्ष.................

सदस्य.................

स्थान.................

तारीख.................

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनसे संबंधित संक्षिप्त ब्यौरा :

1. बेतार, योजना और समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन, संचार विभाग मे इंजीनियर (श्रेणी I)

(क) वेतन-मान रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950।

(ख) इंजीनियर पदधारी इस ग्रेड मे पांच वर्ष सेवा करने के बाद सहायक बेतार सलाहकार, बेतार, योजना और समन्वय स्कंध/प्रभारी-इंजीनियर, अनुश्रवण संगठन के ग्रेड में (वेतन-मान रु० 700-40-1150-50/2/1250 और रु० 100 केवल सहायक बेतार सलाहकार के पद के लिए विशेष वेतन के रूप में) 50 प्रतिशत रिक्तियों के लिए पदोन्नति का पात्र है। सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी-इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति श्रेणी I के पदों के लिए बनाई गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर किए गए चुनाव के आधार पर होगी।

ऐसे सभी सहायक बेतार सलाहकार और प्रभारी इंजीनियर, जिन्होंने सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर के ग्रेड में 5 वर्ष सेवा की है, उप-बेतार सलाहकार (वेतन-मान रु० 1100-

50-1400) के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। उप बेतार सलाहकार के ग्रेड में रिक्तियां श्रेणी I के पदों के लिए बनाई गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर किए गए चुनाव के आधार पर 75 प्रतिशत तक भरी जाती हैं। उप बेतार सलाहकार के ग्रेड में 25 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं।

(ग) इंजीनियर के पद पर नियुक्त व्यक्ति को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

(घ) इंजीनियर के पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, यदि ऐसी आवश्यकता हुई किसी रक्षा सेवा में अथवा भारत की रक्षा से सम्बन्धित पद पर प्रशिक्षण में, यदि कोई हो, बिताई अवधि को मिला कर कम-से-कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है।

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के लिए:

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त सेवा करना अपेक्षित न हो,

(ख) चालीस वर्ष की आयु का हो जाने के बाद सामान्यत: पूर्वोक्त सेवा करना अपेक्षित न हो।

2. सिविल विमानन विभाग, पर्यटन तथा सिविल विमानन मन्त्रालय में सहायक तकनीकी अधिकारी (श्रेणी II)।

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान वे समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिनकी रिपोर्ट अच्छी होगी और जो कोई विभागीय परीक्षा या निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें अस्थायी सहायक तकनीकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनके बारे में सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में पुष्टि के लिए, जैसे और जब उनकी पुष्टि के लिए स्थायी पद उपलब्ध होंगे, विचार किया जाएगा।

(ख) यदि सरकार की दृष्टि में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक हो, या यह प्रकट हो कि वह दक्ष नहीं बन सकता तो सरकार उसे तत्क्षण सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षा-अवधि की समाप्ति पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि कर सकती है अथवा यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की दृष्टि में असंतोषजनक रहा हो तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को जितना सरकार उचित समझे उतना और आगे बढ़ा सकती है।

(घ) यदि इस नियम के उप-नियम (ख) या (ग) के अधीन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के बाद की अवधि मास-दर-मास नियुक्ति मानी जाएगी। यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक कैलेन्डर मास के लिखित नोटिस की अवधि पूरी होने पर समाप्त की जा सकती है।

(ङ) यदि इस सेवा में नियुक्तियों की शक्ति सरकार किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर देती है तो इस नियम के अधीन सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग वह अधिकारी कर सकता है।

(च) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी उस समय लागू और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार छुट्टी, वेतन-वृद्धि और पेंशन के पात्र होंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि को नियमित करने वाले नियमों के अनुसार वे इस निधि में शामिल होने के पात्र भी होंगे।

(छ) इन अधिकारियों का भारत में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा और आपात् स्थिति के दौरान क्षेत्र सेवा के लिए भारत में और भारत के बाहर कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा। उन्हें उड़ान के दौरान वायुयान पर ड्यूटी देने के लिए भी कहा जा सकता है।

(ज) इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिक) परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए अधिकारियों की सापेक्ष वरिष्ठता सामान्यत: परीक्षा में उनके गुण के क्रम में निर्धारित की जाएगी। तथापि भारत सरकार को वैयक्तिक मामलों में अपने विवेकानुसार वरिष्ठता निर्धारित करने का अधिकार भी है।

(झ) सहायक तकनीकी अधिकारियों की तकनीकी अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति पश्चादुक्त ग्रेड में रिक्तियां होने पर निर्भर है और यह पदोन्नति गुणानुसार किए गए चुनाव के आधार पर उन सहायक तकनीकी अधिकारियों में से की जाती है जो इस ग्रेड में कम-से-कम तीन वर्ष सेवा कर चुके हों। तकनीकी अधिकारियों के ग्रेड में विभागीय पदोन्नति के लिए केवल 50 प्रतिशत रिक्तियां उद्दिष्ट हैं।

(ञ) सेवा की इन शर्तों का सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार पुनरीक्षण किया जा सकता है। सेवा की शर्तों में बाद में किए गए परिवर्तनों से यदि उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो वे क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(ट) वेतन मान: रु० 350—25—500—30—590—द० रो०—30—800 द० रो०—30—830—35—900।

(ठ) सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, यदि आवश्यकता हुई, किसी रक्षा सेवा में अथवा भारत की रक्षा से सम्बन्धित पद पर प्रशिक्षण में, यदि कोई हो, बिताई अवधि को मिला कर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है:—

बशर्ते कि उस व्यक्ति के लिए:—

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त सेवा करना अपेक्षित न हो।

(ख) चालीस वर्ष की आयु का हो जाने के बाद पूर्वोक्त सेवा करना सामान्यत: अपेक्षित न हो।

3. सहायक स्टेशन इंजीनियर (श्रेणी I) सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

(क) नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अधीन होगी।

(ख) इस पद पर नियुक्त अधिकारी की तैनाती भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए की जा सकती है और किसी भी समय

उसका स्थानान्तरण किसी लोक निगम के अधीन कार्य करने के लिए किया जा सकता है और इस स्थानान्तरण पर, निगम के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा की शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

(ग) सरकार निम्नलिखित स्थितियों में, बिना कोई सूचना दिए, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकती है :– (i) परिवीक्षा की अवधि के दौरान या इसकी समाप्ति पर, (ii) अनधीनता, असंयम, अवचार या सेवा से संबंधित तथा उस समय लागू चार नियमों की शर्तों को भंग करने या उनका पालन न करने पर, (iii) यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य हो और अपने कर्तव्य पालन के लिए अस्वस्थता के कारण काफी समय तक उसके अयोग्य रहने की सम्भावना हो। अस्थायी नियुक्ति की स्थिति में अधिकारी की सेवा किसी भी समय बिना कोई कारण दिए किसी भी ओर से एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

(घ) वेतन मान रु० 400–400–450–30–600–35–670–द० रो०–35–950।

(ङ) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावनाएं :— (i) स्टेशन इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति :– कम से कम 5 वर्ष इस ग्रेड में सेवा करने के बाद सभी सहायक स्टेशन इंजीनियर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर किए गए चुनाव के आधार पर आकाशवाणी में स्टेशन इंजीनियरों के ग्रेड में रु० 700–40–1100–50/2–1250 के वेतन मान में पदोन्नति के लिए पात्र है। (ii) वरिष्ठ इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति :– जिन स्टेशन इंजीनियरों ने इस संवर्ग में कम से कम सात वर्ष सेवा की है वे सभी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर किए गए चुनाव के आधार पर वरिष्ठ इंजीनियरों के ग्रेड में रु० 1100–50–1400 के वेतन मान में पदोन्नति के पात्र हैं।

टिप्पणी : सेवा की शेष शर्तें जैसे छुट्टी, स्थानान्तरण/दौरे पर यात्रा भत्ता, कार्यारंभ काल/कार्यारंभ काल वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा रियायतें, पेंशन और अनुदान, नियंत्रण और अनुशासन और आचरण, इत्यादि समान पद के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली शर्तों के समान ही होंगी।

4. केन्द्रीय सरकार के अधीन सामान्यतः निम्नलिखित वेतन मानों वाले अन्य पद :—

श्रेणी I रु० 400–950।

श्रेणी II रु० 350–900।

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 1969

संकल्प

सं० वि० का० पांच-511/(39)/68—संकल्प सं० वि० का० पांच-511/(39)/68, दिनांक 26 दिसम्बर, 1968 द्वारा संशोधित, इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का० पांच-511/(39)/68, दिनांक 19 नवम्बर, 1968 के कंडिका 2 में निम्नलिखित उपकंडिका और जोड़ दी जाए :—

"इस समिति को, अध्ययन के सम्बन्ध में जब कभी आवश्यकता पड़े, पश्चिम बंगाल के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (सड़क) श्री एस० के० लाहा को सहयोजित करने का भी अधिकार है।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इस की एक प्रतिलिपि सभी व्यक्तियों/संस्थाओं को भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से कहा जाए कि वे इस संकल्प की आम सूचना के लिये राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दें।

सं० वि० का० पांच-511/(39)/68—इस मंत्रालय के संकल्प सं० वि० का० पांच-511/(39)/68 दिनांक 19 नवम्बर, 1968 के अनुक्रम में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल की 1968 की अभूतपूर्व बाढ़ों के दौरान बड़े पैमाने पर पर जो क्षति हुई और संचार-सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई, उन की पुनरावृत्ति से बचने के लिये आवश्यक प्रतिकारात्मक उपाय सुझाने हेतु नियुक्त की गई तकनीकी समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को, 10 जून 1969 तक बढ़ाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और इस की एक प्रतिलिपि सभी संबन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं को भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से कहा जाए कि वे इस संकल्प की आम सूचना के लिये राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दें।

के० जी० आर० अय्यर, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1969

सं० ई० एल० 2-12(21)/61-जिल्द-III—दिल्ली में तीन सेटों के प्रतिष्ठापन के लिए जिन में से प्रत्येक की क्षमता 50/62.5 मेगावाट होगी, दिल्ली ताप परियोजना नियन्त्रण बोर्ड के गठन से सम्बन्धित इस मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ई० एल० 11-12(21)/61 दिनांक 26 सितम्बर, 1962 में पैरा 2 की वर्तमान प्रविष्टि (3) और पैरा 6 की वर्तमान प्रविष्टि XI के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कर दी जाएँ:—

पैरा 2

(13) सचिव (स्थानीय स्वायत्त सरकार और जन कार्य विभाग) दिल्ली प्रशासन। सदस्य

पैरा 6

(XI) सचिव (स्थानीय स्वायत्त सरकार तथा जन कार्य विभाग) दिल्ली प्रशासन। सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को पंजाब और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, हरियाणा बिजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत सरकार के महा-नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० पी० मथरानी, सचिव

MINISTRY OF FOREIGN TRADE & SUPPLY

Department of Foreign Trade

RESOLUTION

New Delhi, the 7th March 1969

No. 68-*Pub.*(5)/68.—The Standing Export Publicity Advisory Committee was set up *vide* Ministry of Commerce Resolution No. 68-Pub.(5)/66, dated the 31st October, 1966 and changes in the membership of the Committee were notified in the Ministry of Commerce Resolution No. 68-Pub(5)/66, dated the 2nd May, 1968. The following further changes in the membership of the Committee are notified :—

(i) In Sl. No. 3, *for* Shri T. N. Bahel *read* "Shri P. K. Sen".

(ii) *For* existing entry at S. No. 4 relating to Shri U. S. Mohan Rao, *read* "4. Shri Shankar Dayal, Director, Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Patiala House, New Delhi-1".

(iii) In Sl. No. 6 *for* Shri S. N. Limaye, *read* "Shri K. L. Khandpur".

(iv) In Sl. No. 7 *for* Shri V. K. Narayana Menon, *read* "Shri A. K. Sen".

(v) *For* existing entry at Sl. No. 8, *read* "Shri B. Rangaswamy, Financial Editor, Indian Express, Newspaper House, Sasson Dock, Colaba, Bombay-5".

(vi) *For* existing entry at Sl. No. 10 relating to Dr. D. K. Rangnekar, *read* "10. Shri A. B. Bhadkamkar, Joint Secretary, External Publicity Division, Ministry of External Affairs, New Delhi".

(vii) The following name shall be added to the list of members in paragraph 1 at Sl. No. 20 :—

"20. Shri P. K. K. Vydiar, Secretary General, Federation of Indian Export Organisations, No. 17, Parliament Street, New Delhi."

(viii) The Serial No. *against* the name of Shri V. R. Rao should *read* "21" in place of 20.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information and copy thereof communicated to all concerned.

S. K. SINGH, Director

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 10th March 1969

No. 22/1/69-*CAI*(2).—In continuation of the Ministry of Education Notification No. 22/10/67-CAI(2), dated the 13th January, 1969, Prof. Shanti Swarup, Head of the Department of Political Science, Dibrugarh University, Dibrugarh (Assam), is appointed as an ordinary Member of the Indian Historical Records Commission in accordance with para 3.I.A(6) of Government of India Resolution No. 6/25/63-A.10(C.5), dated the 20th November, 1965, for an unexpired portion of the term expiring on the 3rd April, 1971.

A. S. TALWAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

P. & T. Board

New Delhi, the 7th February 1969

No. 23/17/66-*LI*.—The President hereby directs that the following further amendment shall be made in the Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

For rule 3 with Note and Exception thereunder, the following shall be *substituted*, namely—

"3. Any person who is admissible to the benefits of the Post Office Insurance Fund under rule 2, 2-A, 2-B or 2-C, may effect an insurance—life insurance or endowment assurance or both—on his life for a sum not less than Rs. 100 in each class but not more than an aggregate of Rs. 30,000 in all classes of insurance taken together. Within these limits the sum assured must be in multiples of Rs. 100.

NOTE.—In calculating the aforesaid maximum limits, policies that have been either surrendered or taken payment of on maturity shall not be taken into account.

Exception.—In the case of a life which has already been insured for Rs. 50 or a multiple of it a further policy for Rs. 50 or a multiple of it will be issued only when it becomes necessary to make the total sum assured into a multiple of Rs. 100".

COPY forwarded to all State Governments; all Chief Commissioners; all Ministries of the Government of India; the Secretaries to the President; the Financial Adviser, Defence; the Additional Financial Adviser, Supply (Finance); the Joint Financial Adviser, Supply; the Supreme Court; Secretary to the Cabinet Secretariat; the Comptroller and Auditor General of India; Revenue Division (Ministry of Finance); the Joint Financial Adviser (Food); all Accountants General and Comptrollers; the Director of Audit, Defence and Supply; the Director of Railway Audit; the Director of Audit and Accounts, P&T under the Accountant General, Posts and Telegraphs and the Accounts Officer, Telegraph Check Office, Calcutta; National Savings Commissioner, Nagpur.

COPY also forwarded to the Master, Security Printing, India; the Mint Masters, Bombay and Calcutta; Secretary, Reserve Bank of India (Central Office), Bombay; Director General, Posts and Telegraphs, New Delhi.

MADAN KISHORE, Member (Banking and Insurance)

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTIONS

New Delhi, the 5th March 1969

*No. DW.V.*511(39)/68.—In this Ministry's Resolution No. DW.V.511(39)/68, dated the 19th November, 1968, as amended *vide* Resolution No. DW.V.511(39)/68, dated the 26th December, 1968, the following further sub-paragraph may be added in paragraph 2 :

"The Committee is also empowered to co-opt Shri S. K. Laha, retired Chief Engineer, Roads, Government of West Bengal, as and when necessary, in connection with the study."

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that a copy thereof be communicated to all concerned.

ORDERED also that the State Government of West Bengal be requested to publish it in the State Gazette for general information.

*No. DW.V.*511(39)/68.—Further to this Ministry's Resolution No. DW.V.511(39)/68, dated the 19th November, 1968, Government are pleased to extend the period for submission of the final report by the Technical Committee, constituted to devise remedial measures necessary to avoid recurrence of large scale damage and disruption of communications that took place during the unprecedented floods in North Bengal in 1968, up to the 30th June, 1969.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that a copy thereof be communicated to all concerned.

ORDERED also that the State Government of West Bengal be requested to publish it in the State Gazette for general information.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 13th March 1969

No. EL.II-12(21)/61-*Vol.III.*—In this Ministry's Resolution No. EL-II-12(21)/61, dated the 26th September, 1962, relating to the constitution of the Delhi Thermal Project control Board for the installation of three sets of 50/62.5 MW each at Delhi as amended from time to time, for existing entries (13) under Paragraph 2 and XI under paragraph 6, the following entries shall be *substituted* :—

Paragraph 2 :

(13) Secretary (Local Self Government and P.W.D.), Delhi Administration. *Member*

Paragraph 6 :

(XI) Secretary (Local Self Government and P.W.D.), Delhi Administration. *Member*

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Governments of Punjab and Haryana, the Delhi Administration. The Delhi Municipal Corporation, The Haryana State Electricity Board, The Ministries Department of the Government of India, The Prime Minister's Secretariat, The Secretary to the President, The Planning Commission and The Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. P. MATHRANI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969